प्रपत्र–2.1

भाग– II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.............

7 परियोजना / स्कीम का स्थान देवाल मुन्दोली, मोटर मार्ग से रा०5० का० मुन्दोली तक मोटर मार्ग निर्माण

i) राज्य / संघ शासित क्षेत्र - उत्तराखण्ड

ii) जिला - चमोली

iii) वन प्रभाग - बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर,

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) - 0.288 वन पंचायत

v) वन की कानूनी स्थिति - वन पंचायत

vi) हरियाली का घनत्व -

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० – 4 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाएं - संलग्न

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - संलग्न,

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - संलग्न

x) क्या कार्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाएं) - नहीं

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। - नहीं

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / परम्परागत स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें - नहीं

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - हाँ

9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां / नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है। - नहीं,

Scanned with CamScanner

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित गैर-वन क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। — नहीं।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र, अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — नहीं।

iii. स्कीम की आने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि। — संलग्न

iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। — 11.31

v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) —

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्न।

12– प्रभाग / जिला प्रोफाइल

जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 803020 है०।

i. जिला का वन क्षेत्र। 514792 है०।

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। मामले 616, 3091.98 ha

iii. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेतर भूमि पर

31/12/2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर 4250.96 ha

(ख) वनेतर भूमि पर 132.71 ha

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। जनहित मे संस्तुति की जाती है।

दिनांक 20-12-2017

स्थान [illegible]

हस्ताक्षर

नाम (एस.एन. पाण्डेय)

सरकारी मोहर
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]